

आधुनिक समय में वैकल्पिक पत्रकारिता

डॉ. मीना शर्मा,

पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय

1947 में भारत को आजादी मिली थी। देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के उपरान्त मिला था, किन्तु कुछ साल पहले तक अभिव्यक्ति के लिए मंच के अभाव और साधन की कमी के कारण अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के प्रयोग का अवसर सीमित एवं दुर्लभ था। जनता अभिव्यक्ति करे तो कहाँ करे! जायें तो जायें कहाँ? आम आदमी का यह अधिकार यह स्वतंत्रता धरा का धरा रह जाता था। जनता की आवाज, जनता की रुचि, जनता का मत जनता की समस्या आदि के प्रकटीकरण की कोई सहज सुलभ मंच न था। टीवी, रेडियो और अखबार से दूर थी। जनता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो थी नहीं कि वह रेडियो पर आए और अखबार में छपे! उसकी आवाज तो दूसरे लोग, दूसरे संचार माध्यम (पत्र-पत्रिकाएं आदि) उठाते थे। सीधे अपनी बात जनता कह नहीं पाती थी। अभिव्यक्ति की बलवती इच्छा के बावजूद आम आदमी की अभिव्यक्ति अपना दम तोड़ रही थी। अभिव्यक्ति की पीड़ा, कराह में लोकतंत्र आधा अधूरा था। अवसर और मंच के अभाव में आजादी का कोई मोल न था। कहीं दूर से कोई आवाज आती भी थी तो आम आदमी की आवाज, आम आदमी की अभिव्यक्ति नक्कार खाने में तूती की तरह दब कर रह जाती थी। न कोई उस पर ध्यान देता था और न कोई उसे सुनता था। जो देश और जनता की दुर्गति का बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। जनता की आवाज ऊपर या बाहर तक नहीं पहुँचने के कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी,

भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार या अन्य समस्याओं का अंबार लग गया। जनता निष्क्रिय और मूकदर्शन बनकर यूँ ही बैठी रही।

किन्तु जनता को अभिव्यक्ति की वास्तविक आजादी दिलाने का काम किया आज के सोशल मीडिया नेटवर्क ने। सोशल मीडिया ने संचित अभिव्यक्ति का द्वार खोलकर, अभिव्यक्ति का लोकमंच प्रदान कर, अभिव्यक्ति के नए चैनल खोलकर भारत के आन्तरिक लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। सोशल मीडिया नेटवर्क ने हर उपयोगकर्ता (यूजर्स) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हर व्यक्ति को पत्रकार या कलम का सिपाही बना दिया है। हृदय के बंद कपाट खुलते ही, अभिव्यक्ति का मंच मिलते ही अभिव्यक्ति की ऐसी वेगवती धारा प्रवाहित होने लगी कि आज इसके प्रवाह से कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। आज सोशल मीडिया का प्रभाव ऐसा हो गया है कि मुंबई के सुदूर कस्बे में भी अपने कमरे में बैठी एक लड़की कोई बात कहती है तो उस आवाज की गूंज सत्ता के गलियारे तक सुनाई पड़ती है, कानून हरकत में आ जाता है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक में बवंडर खड़ा हो जाता है।

सोशल मीडिया नेटवर्क अभिव्यक्ति का ऐसा सर्वसुलभ, सहज, त्वरित अभिव्यक्ति के संचार का माध्यम बनकर उभरा है कि विभिन्न नेटवर्कों ने जुड़े अर्थात् सोशल मीडिया के विभिन्न उपकरणों, चैनलों और साधनों का उपयोग करने वालों की संख्या नब्बे के दशक के लाखों से कहीं

बढ़कर 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अरबों तक पहुँच चुकी है। और दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने ऐसे जगत का, ऐसे देश का ताना बाना बुनकर निर्माण किया है जिस देश की नागरिकता ग्रहण करने के लिए कोई पासपोर्ट, वीसा की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक इन्टरनेट कनेक्शन की। यह एक ऐसा देश है जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यह एक ऐसा देश है जिसकी आबादी (यूजर्स) एक अरब के पार होकर चीन और भारत की आबादी के बाद तीसरे नम्बर पर है।

अभिव्यक्ति के नए चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइटों जैसे—फेसबुक, ट्विटर, लिंकर, वाट्स—अप, यू—ट्यूब, लिंकडइन, पिटेरेस्ट, माइस्पेस, साउंडक्लाइड और ऐसे ही न जाने कितने साइटों पर प्रयोगकर्ताओं को त्वरित गति से, इस्टेंटली सहज—सुलभ रूप से विचार—विमर्श, सृजन, पसंद, नापसंद, सहयोग करने, जनमत तैयार करने, अभियान चलाने, लामबंदी करने जागरूकता फैलाने तथा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो रूपों में जानकारी में हिस्सेदारी करने और उसे परिष्कृत करने की योग्यता और सुविधा प्रदान करता है। बल्कि सच तो यह है कि सोशल मीडिया ने 'इन्टरनेट का लोकतंत्रीकरण' किया है और लोकतंत्र को जनता की पारस्परिक सहभागिता के माध्यम से मजबूत करने का कार्य किया है। टीवी, रेडियो, अखबार आदि के मूक दर्शक और पाठकों को निष्क्रिय या पैसिव की श्रेणी से बाहर निकालकर उसे एक्टिव और इंटरएक्टिव बनाया है। सोशल मीडिया ने एक ऐसे क्रियाशील मंचों को तैयार किया है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय प्रयोक्ता—जनित सामग्री का संप्रेषण एवं सह—सृजन कर सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। अब तो आज के आदमी को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए न तो किसी अखबार के संपादकों के चक्कर लगाना है और न ही टीवी एवं रेडियो पर दिखने—सुनने के लिए

एप्रोच या कनेक्शन भिड़ाना है। बल्कि वह तो घर बैठे ही, चलते—फिड़ते भी, जहाँ कहीं होते हुए भी अपनी बात रख सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है और ऐसा सम्भव हुआ सोशल मीडिया के आसान उपलब्धता के कारण। फेसबुक, ट्विटर आदि अभिव्यक्ति के नए चैनल भर नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति के नए द्वार हैं, अभिव्यक्ति के मुक्ति—मार्ग हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक्सप्रेसवे का एक खुला लोकतंत्र है और देश के आन्तरिक लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सामाजिक औजार है।

सोशल मीडिया सबका और सबके लिए है। इसकी प्रकृति समावेशी (इनक्लूसिव) है, जिसकी परिधि से कोई भी बाहर या अछूता नहीं है। तकनीकी एकजुटता और समावेशी व्यवहार के कारण यह सामाजिक अस्पृश्यता, ऊँच—नीच, बड़ा—छोटा, अमीर—गरीब, जाति, वर्ग, रंग धर्म नस्ल, क्षेत्रीयता आदि के दीवारों को गिराकर एक साथ एक ही मंच पर खड़े होने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस अर्थ में सोशल मीडिया की एवं बड़ी सामाजिक और मानवीय भूमिका है। जहाँ सभी को समान स्वतंत्रता, समान सुविधा और समान अधिकार उपलब्ध है। जहाँ सभी अपने विचारों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर विचार—विमर्श कर सकते हैं। यह संगठनों, व्यक्तियों और समुदायों के बीच संचार एवं संवाद में महत्वपूर्ण और व्यापक परिवर्तनों को अंजाम देता है।

सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारस्परिकता ने डिजिटल स्पेस में विस्फोट ला दिया है। अपने सामाजिक जगत में अभिव्यक्ति के स्पेस से वंचित आम आदमी का साइबरस्पेस में स्थान मिलना, उसके अस्तित्व के सत्यापन के एहसास को पाना एक अद्भुत और नई बात है। अतएव यह एक अद्भुत माध्यम है। विशेषकर 'फेसबुक' ने आम आदमी को अपनी आत्म—अभिव्यक्ति का एक नायाब माध्यम प्रदान

किया है जहाँ वह अपनी छोटी-से-छोटी बात को रख सकता है, शेयर कर सकता, खुद को दूसरों से और दूसरे से खुद को जोड़कर एक-दूसरे के साथ लगाव, जुड़ाव, तनाव, बहलाव-फुसलाव और चाव को रख सकता है। परस्पर मानव संपर्क का यह नया रूप लोगों को बहुत रास आ रहा है, लोगों को एक-दूसरे के पास ला रहा है। एक 'कॉमन अड्डा' पर आकर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह का अपने विचार जोक्स, अनुभव, फोटो आदि का साझा करना अभिव्यक्ति का डिजिटलाइजेशन है। अभिव्यक्ति का एक नवीन फार्म है, इंटरएक्टिव माध्यम है। वर्ल्डवाइड वेब पर स्थिर और निष्क्रिय पृष्ठों को देखने के बजाय अधिक परस्पर क्रियाशील बनकर ऑनलाइन या वास्तविक समुदायों में प्रयोक्ता जनित सामग्री का इस्तेमाल कर गतिशील और सक्रिय इस्तेमालकर्ता होने का अनुभव ही कुछ अलग है। रेडियों और टीवी पर लोगों की कमेंट्री सुननेवाला आम आदमी अब पहली बार खुद अपने कमेंट्स लोगों को देता है और लोग उसे सुनते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसका फॉलोअर बनते हैं। एक कॉमन मैन का भी कोई फॉलोअर हो सकता है, देखा जाय तो एक जमाने में और आज भी एक अकल्पनीय बात एवं अचंभित कर देने वाला एहसास है। यही है सोशल मीडिया की जादू का ताकत जो सबके सिर पर चढ़कर बोलता है।

सोशल मीडिया द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति के नए चैनलों ने बदलते हुए आधुनिक तकनीकी समाज के परस्पर आपसी सम्बन्धों, आपसी व्यवहारों और तौर-तरीकों में आए बदलाव को हवा दी है। बदलते समाज की बानगी नयी तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया है। इसके माध्यम से लोगों के बदलने नये मिजाज, नये अंदाज के दर्शन किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया के कारण लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध और संवाद करने के स्टाइल में तेजी से बदलाव दिख रहा है। इससे संवाद का सामाजिक दायरा, राजनीतिक दायरा बढ़ रहा है। सामाजिक रूप से

करे लोगों को तकनीक के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से जुड़ने का अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। व्यस्तताओं के बीच जब भी फुरसत मिले कोई भी व्यक्ति आनलाइन आकर लोगों से कनेक्ट कर सकता है, सूचनाएँ और विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है, ट्वीट कर सकता है, ब्लॉग लिख सकता है, फेसबुक पर जन्मदिन-सालगिरह की पार्टी की तस्वीर पोस्ट कर सकता है, अपने खट्टे-मीठे अनुभव को साझा कर सकता है। अपनी थकान मिटाने के लिए यू-ट्यूब से गाने डाउनलोड कर मनचाहे संगीत का आनन्द ले सकता है।

सोशल मीडिया की युवा अभिव्यक्ति ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बड़े, क्या वृद्ध इन सबकी जिन्दगी में सोशल मीडिया ने अपना घर बनाया है। इनके भीतर के अकेलेपन, खालीपन, ऊबाऊपन, अवकाश, उदास, अवसाद आदि के क्षणों का साथी बनकर जीवन के खाली कैनवस में रंग भरने का, रोमांच लाने का, रोमांस लाने का नवीनता प्रदान करने का कार्य किया है। बोरिंग जिन्दगी में एक्साइटमेंट पैदा करने का काम किया है। विशेषकर युवा वर्ग की सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी ने सोशल मीडिया को युवा बनाकर इसे युवाओं का मनपसंद अड्डा बना दिया है। जहाँ इन इस्तेमालकर्ताओं में अधिकतम युवा (84 प्रतिशत) और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी (82 प्रतिशत) हैं।

इन सभी युवा प्रयोगकर्ताओं को युवा मतदाता, युवा उपभोक्ता के रूप में साधने के लिए, युवाओं तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ और छोटी-बड़ी सभी कम्पनियाँ परस्पर आपसी होड़ में लगी रहती हैं कि कहीं इस रेस में वे पिछड़ न जाएं। पिछड़ने का सीधा अर्थ है बाजार और चुनाव से बाहर हो जाना। अतएव सुपर एक्टिव यूजर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर परम्परागत राजनीति करने वाले लालू

यादव तक को सोशल मीडिया से कनेक्ट होने को बाध्य कर दिया है। आजकल तो सभी बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता बड़ी भारी संख्या में युवा यूजर्स को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स लिखते रहते हैं। ट्वीट और ब्लॉग के जरिये ही 'फनी' से लेकर 'सनसनी' कमेंट्स डालते रहते हैं। जो कई बार राजनीतिक भूचाल तक का कारण बन जाता है, संसद तक की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। यानी कि सोशल मीडिया ने सिर्फ सामाजिक अभिव्यक्ति के द्वार नहीं खोले हैं बल्कि नवीन राजनीतिक अभिव्यक्ति का हाइवे भी तैयार किया है। राजनीतिक अभिव्यक्ति ही क्यों अभिनय जगत, खेल जगत, आर्थिक जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया से जुड़कर अपने अनुभव, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार आदि को लोगों के बीच शेयर करने का काम किया है। कभी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर अपने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ अपने पिता बनने के नए अनुभव को शेयर करते हैं। तो कभी विराट कोहली अपने और अनुष्का शर्मा के बीच के रोमांस का खुल्लम-खुल्ला इजहार करते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन तो सोशल मीडिया के भी सुपरस्टार हैं। जहाँ इनके प्रशंसकों की संख्या 1 करोड़ से पार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उनकी यह सक्रियता उन्हें युवा वर्ग से जुड़कर उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखता है।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लाखों-करोड़ों लोगों तक चुटकियों में पहुँचने का एकमात्र मंच यही तो है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के जरिये एक बार में ही कम खर्च पर सुगमता और सुलभता के साथ पहुँचने का आसान जरिया कोई दूसरा है क्या? अभिव्यक्ति के इस नवीन माध्यम ने बाजार और समाज का सारा समीकरण बदल कर रख दिया है। घर बैठे कुछ भी खरीद-बेच लो। इस पर अनगिनत च्वाइसों की

ऐसी भरमार है कि यूजर्स और दिखाओं, और दिखाओं, और दिखाओं के मूलमंत्र के साथ चीजें देखता रहता है, कम्पेयर करता है और बिना किराया खर्च किए घर बैठे कम कीमत पर शॉपिंग का आनन्द भी उठाता है।

सोशल मीडिया ने संचार और सम्बन्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दिया है। महंगे कम्प्यूटर और लैपटॉप के कारण इसके विकास की रफ्तार को हवा देने का काम सस्ते मोबाइल सेट की आसानी से उपलब्धता ने किया है। मोबाइल इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण सोशल मीडिया नेटवर्किंग के भारत में इस्तेमाल में जर्बदस्त बढ़ोतरी हुई है। अभिव्यक्ति का सामाजिक दायरा बढ़ा है। आई.ए.एम.ए.आई. रिपोर्ट सोशल मीडिया इन इंडिया 2012 के अनुसार : "आज यह देखा जा रहा है कि मोबाइल फोन का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, और ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में लोग ऐसे फोन अपना रहे हैं जिसमें अनेक विशिष्टताएं होती हैं अथवा स्मार्ट फोन लोगों के पास बढ़ते जा रहे हैं, जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाले होते हैं, जिससे सोशल नेटवर्किंग भारत में सक्रिय इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के आधार का तेजी से प्रसार कर रही है। मोबाइल इंटरनेट प्लान सस्ते होने से इस्तेमालकर्ताओं के स्तर में अतिरिक्त वृद्धि हो रही है।"

सोशल मीडिया नेटवर्किंग के माध्यम से उपलब्ध अभिव्यक्ति के विविध चैनलों के कारण सोशल मीडिया ने जनमत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, हालांकि यह प्रभाव प्रिंट मीडिया और टेलीविजन की तुलना में कम है। इन चैनलों में सर्वाधिक पॉपुलर चैनल फेसबुक है। फेसबुक प्रमुख एवं अग्रणी वेबसाइट है जिसे भारत में सभी सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं के 97 प्रतिशत द्वारा एक्सेस किया जाता है। जिसने सामाजिक सम्बन्धों के ताने-बाने को दूर तक प्रभावित करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया

के विभिन्न चैनलों ने समाज के साथ-साथ सरकारी क्रियाकलापों, सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को भी बदलना शुरू कर दिया है। सरकार के कार्यक्रमों को कागज से जमीन पर उतारने के लिए नीति-निर्माताओं और सार्वजनिक निकायों के लिए सोशल मीडिया ने असीम संभावनाएं खड़ी कर दी है। जिससे लोकतांत्रिक सरकार मजबूत और जनता और सरकार के बीच की दूरी कम हो रही है।

सोशल मीडिया के जरिये अभिव्यक्ति के विविध नए चैनलों के कारण सामाजिक अभिव्यक्ति का अंदाज भी बदल रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज की सामूहिक आक्रोश की अभिव्यक्ति, जनता के सामाजिक एवं सम्बेदनशील मुद्दों की अभिव्यक्ति, जागरूकता और लोकप्रिय सामाजिक आन्दोलनों के लिए होने लगा है। मास कनेक्टिविटी और मास लोकमंच होने के कारण जनता को लामबंद कर पाना अब पहले से आसान हो गया है। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल के लिए 'इंडिया अगेस्ट करप्शन' का जनान्दोलन की सफलता का बड़ा कारण सोशल मीडिया नेटवर्किंग का इस्तेमाल ही था। 16 दिसंबर 2012 में दामिनी के सामूहिक बलात्कार के खिलाफ जनता का जो जनक्रोश फूटा और आवेगशील एवं तात्कालिक विरोध प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट पर एकत्र हुईं हजारों लोगों की भीड़ के पीछे सोशल मीडिया द्वारा मास स्तर पर चलाया गया कैंपेन ही था, जो भारत के सामाजिक अनुभव की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक नवीन और ताजा अनुभव था। यहीं नहीं बल्कि काहिरा के तहरीर चौक और ढाका के शाहबाग में हुए लोकप्रिय आन्दोलनों के पीछे सोशल मीडिया : अभिव्यक्ति के नए चैनलों की ही रचनात्मक भूमिका थी। अभिव्यक्ति का यह नया माध्यम सामाजिक अभिव्यक्ति के पैटर्न को भी तेजी से बदल रहा है। समाज में अन्याय, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बलात्कार, रिश्वतखोरी, पुलिस जुल्म आदि के

खिलाफ जनता के लड़ने के तौर-तरीकों को भी सोशल मीडिया ने बदलना शुरू कर दिया है। अब आप पुलिस के रिश्वतखोरी का वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, तुरन्त वीडियो वायरल हो जाती है और सम्भव है कि उस केस में संबंधित पुलिसवाले को लाइन हाजिर कर दिया जाए। इसके लिए सामने आकर धरना-प्रदर्शन और केस-मुकदमा करने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है।

किन्तु सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार भी है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में इसकी गति दिखाई पड़ती है। इस पर स्वस्थ अभिव्यक्ति के साथ-साथ नफरत एवं घृणा की भी अभिव्यक्ति एक साथ दिखाई पड़ती है। सोशल मीडिया पर सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इस पर अच्छे लोगों के साथ चोर, बदमाश, ठग, शातिर, अपराधी, अफवाह और नफरत का कारोबार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक तीसरी अज्ञात आंख है जो आप पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। तो आपकी गोपनीय जानकारी, आपकी हर हरकत पर अपनी अपराधी नजर रखता है। जो अवसर पड़ने पर आपके पैसे उड़ा सकता है, जो नकली दोस्त बनकर आपका बलात्कार कर सकता है, ठग सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, झांसा दे सकता है और यहाँ तक कि मर्डर भी कर सकता है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ साइबर क्राइम का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर असावधानी से की गई बेवाक अभिव्यक्ति आपको महंगी भी पड़ सकती है। तात्कालिकता और भावनात्मक तीव्रता के दबाव के कारण अनियंत्रित अभिव्यक्ति अथवा कमेंट्स आपको मुसीबत में डाल सकता है या आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर सकता है। सुनंता पुष्कर की मौत इसका ताजा उदाहरण है, जिसे भारत में प्रथम ट्विटर मौत माना जाता है।

सोशल मीडिया ने ऐसे दैत्यों को भी जन्म दिया है जो आप पर घात लगाकर बैठे हुए हैं और आपकी गलती का इंतजार कर अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के फिराक में बैठे हुए हैं। चूंकि सोशल मीडिया के प्रयोग में कई बार तात्कालिकता की भावना कई गुणा बढ़ी हुई होती है, इस कारण न केवल अति संवेदनशील और युवा धड़कनों को प्रभावित करने वाली अनुचित सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है, बल्कि अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से जघन्य प्रयोजनों के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करने की छूट भी मिल जाती है। साइबर स्टॉकिंग (पीछा करना), साइबर बुलिंग (बदमाशी) अफवाहे फैलाना जैसे दुष्कर्म एवं अपराध इस भयावह दैत्य के कुछ मामूली नमूने हैं। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर विद्वेषपूर्ण और अवांछित अफवाहों का प्रकाशन 25 जुलाई 2012 को असम के कोकराझार जिले के दो समुदायों के बीच हुए हिंसा और हत्या जैसी घटनाओं को भी जन्म दे सकता है। जिसका असर दक्षिण भारत के बंगलुरु के फसाद के रूप में हो सकता है। इसका ताजा ज्वलंत उदाहरण दादरी कांड है।

इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह उठ खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक है। क्या आपत्तिजनक अभिव्यक्ति है और क्या अनापत्तिजनक अभिव्यक्ति। सोचने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सोचने की आजादी के अधिकार को प्रतिकार के सवालों को भी बल मिल जाता है कि क्यों न भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) को अनुच्छेद 19(2) द्वारा सीमित क्यों न कर दिया जाए? यानी संविधान का अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 'उपयुक्त प्रतिबंधों' का हवाला देकर भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाए। इस कदम से मौलिक नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाए। इस कदम से मौलिक

अधिकारों का हनन होने के साथ-साथ यह भी डिबेट का प्रश्न है कि क्या 'उपयुक्त' है और क्या 'अनुपयुक्त'? और इसका फैसला कौन करेगा और इन दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा क्या है? और इसका फैसला कौन करेगा और इन दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा क्या है? इस बहस में सरकार, सिविल सोसायटी मानवाधिकार के पैरोकार और कट्टरपंथी गुट आदि सभी कूद पड़े। आजम खान के ऊपर चर्चित कमेंट्स प्रकरण के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने आई.टी.एक्ट. की धारा 66A के अनुच्छेद को ही निरस्त कर दिया जिसमें धार्मिक भावना को भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी का प्रावधान था। क्योंकि इससे पूर्व मुंबई पालघर स्थित दो युवतियों द्वारा दिवंगत बाल ठाकरे के ऊपर किया गया फेसबुक कमेंट्स एवं गिरफ्तारी का प्रकरण, सितम्बर 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के कार्टून पर गिरफ्तारी का प्रकरण, अप्रैल 2012 में जादवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा ममता बैनर्जी के ऊपर बनाया गया कार्टून बनाना और गिरफ्तारी का प्रकरण हो चुका था।

सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के सवालों पर पेंच सही और गलत, उपयुक्त और अनुपयुक्त, नैतिक और अनैतिक, आपत्तिजनक और अनापत्तिजनक, श्लील और अश्लील की परिभाषा, सीमा-निर्धारण को लेकर है। प्रतिष्ठा, निजता, कॉपीराइट और अन्य मानवाधिकारों के कानून के अतिक्रमण के सवाल भी सोशल मीडिया पर अक्सर ज्वलंत हो उठते हैं जैसे ही कोई चर्चित केस, प्रतिष्ठित व्यक्ति का मामला सामने आता है। अतएव इस दुधारी तलवार का प्रयोग मानवीय विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ करने की आवश्यकता है अन्यथा आईटीएक्ट की धारा 66ए बेशक समाप्त हो गया हो लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा एवं कानून अब भी दंडात्मक स्थितियों में विद्यमान है। इसलिए सोशल मीडिया की अवधारणा और विलक्षणता काफी जटिल और बहु-आयामी है। और जब यह हमारे दैनिक जीवन में यूं गहराई से समाता जा रहा है तो

ऐसी स्थिति में हम इससे अपनी नजर नहीं फेर सकते हैं। हम इसे पसन्द करें या नापसंद करें, लेकिन हकीकत यह है कि आज हम सोशल मीडिया की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसे हम अपने लिए वरदान बनाये अथवा अभिशाप, यह हम पर, इसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। यानी सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ ही हम अपने नजरिये को भी परखें। वास्तविकता तो यह है कि भारत में 'हमें' अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना ही होगा। न इससे आंख मूंदकर जुड़ना है और न ही इससे आंख मूंदकर भागना है, बल्कि संचार एवं संबद्धता के साथ तेजी से बढ़ रहे इस अद्भुत मायावी माध्यम के प्रगतिगामी पहलुओं को सुनिश्चित करते हुए इसके प्रतिगामी तत्वों को दूर भगाने की दिशा में कार्य करें। क्योंकि हर सुन्दर चीज खतरनाक भी होती है। और जीवन खतरों और चुनौतियों से भरा होता है, तो क्या जीवन की

सुन्दरता नहीं है!!

संदर्भ

1. डॉ. अरुण जैन, पत्रकारिता और पत्रकारिता, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-2003.
2. डॉ. विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन, सं. 2000, हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप एवं सन्दर्भ
3. डॉ. हरीश अरोड़ा, पत्रकारिता का बदलाता स्वरूप और न्यू मीडिया, साहित्य संचय, नई दिल्ली
4. डॉ. हरीश अरोड़ा, ग्लोबल मीडिया और हिन्दी पत्रकारिता, साहित्य संचय, नई दिल्ली